

Unit-3. → Exemptions from tax

1. निम्न में से कौन-सी आय कर-मुक्त है:

State which of the following income is exempted from tax:

- (a) Agricultural income in kolkata (कोलकाता में कृषि से आय)
 (b) Interest on government securities (सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज)
 (c) Income from Salary (वेतन से आय)
 (d) Capital gains (पूंजीगत लाभ)

Ans → (a) - कोलकाता में कृषि से आय

2. कृषि आय है:

Agricultural income is:

- (a) Taxable (कर-योग्य)
 (b) Exempted (कर-मुक्त)
 (c) Partly exempted (आंशिक कर-मुक्त)
 (d) None of these (इसमें से कोई नहीं)

Ans → (b) → कर-मुक्त

3. एक नया उपक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र में जहाँ वर्ष 2008-2009 में स्थापित किया गया। इसे चारा 10AA के अन्तर्गत करौती मिलेगी।
 A new undertaking is established in special Economic zone during P.Y. 2008-09. Deduction u/s 10AA shall be allowed for:

- (a) 5 Assessment Year (5 कर-निर्धारण वर्ष)
 (b) 8 Assessment Year (8 कर-निर्धारण वर्ष)
 (c) 10 Assessment Year (10 कर-निर्धारण वर्ष)
 (d) 15 Assessment Year (15 कर-निर्धारण वर्ष)

Ans → (d) - 15 कर-निर्धारण वर्ष

4. कर-मुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस चारा में किया गया है

In which section of the Income-tax Act exempted incomes have been mentioned?

- (a) Sec. 10 (b) Sec. 80 (c) Sec. 88 (d) Sec. 2.

Ans → (a) Sec. 10

Fill in the blanks.

(1.) एक अव्यक्त बच्चे की आय 1500 ₹ तक उसके माता-पिता की आय में नहीं जोड़ी जाती।

Income of ----- of a minor child shall not be included in the income of his parents.

1500 ₹

(2.) एक विद्यार्थी को प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि कर-मुक्त है।

Scholarship received by a student is -----

कर-मुक्त (Exempt)

3. एक स्थानीय स्तर की पूंजी लाभ शीर्षक में आय कर-मुक्त है।

Income under the head 'Capital gains' to a local authority is ---

कर-मुक्त (Exempt)

4. एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन की पूंजी लाभ शीर्षक में आय कर-भोग्य है।

Income under the head 'Capital gains' to a registered trade union is -----

कर-भोग्य (Taxable)

5. यदि पुण्यार्थ संस्था ने आय वर्ष 2008-09 में संकलित की है तो संकलन की अवधि ----- से अधिक नहीं होगी।

where a charitable institution has accumulated income during P.Y. 2008-09, the period of accumulation shall not exceed -----

5 वर्ष